रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 14, 1986/चैत्र 24, 1908
No. 187] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 14, 1986/CHAITRA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1986

अधिसूचना

सं. 254/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 625 (अ):—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 4 के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के महा-निदेशक को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के रूप में नियुक्त

करती है और उक्त महा-निदेशक को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की शक्तियां प्रदान करती है जिनका प्रयोग वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में कर सकेगा और जो कि ऐसी शक्तियां हैं जो उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को प्रदत्त हैं।

[फा. सं. 215/8/85-सी.एक्स. 6]

ए. के. प्रसाद, अवर सचिव
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 14th April, 1986

NOTIFICATION

NO. 254/86-CENTRAL EXCISES

G.S.R 625(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 2 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) read with rule 4 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Director-General, Central Economic Intelligence Bureau as a Central Excise Officer and invests the said Director-General with the powers of a Collector of Central Excise, to be exercised by him throughout the territory of India, such powers being powers of a Central Excise Officer conferred under the said Central Excises and Salt Act and the said Central Excise Rules.

[F. No. 215/8/85-CX.6]

A. K. PRASAD, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986